उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-69/2020/940/92-2-2020-03एम/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 29 मई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली में श्री ज्यूतराम, अवर अभियंता के कार्यमुक्त आदेश सं0-109 दिनांक 28-04-2017 को संबंधित पटल सहायकों द्वारा अभिलेखों में हेरफेर कर आदेश संख्या-04 दिनांक 15-04-2017 में परिवर्तित करते हुये पुन: कैम्प रजिस्टर के माध्यम से जारी करने हेतु दोषी पाये गये पटल सहायक/प्रधान सहायक को वर्ष 2017-18 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी थी, परन्तु आदेश संख्या-04 दि0 15-05-2017, जो कि वास्तविक नही है, को कार्यालय आदेश संख्या-सी-13 दि0 05-05-2017 द्वारा निरस्तीकरण आदेश निर्गत कर लापरवाही पूर्ण कार्य करने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-193/19-2788/92-2-19-03एम/2018 दि0 09-12-2019 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-चित्रकूट धाम बांदा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0),ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-09/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-चन्दौली/2019-20 दिनांक 11-05-2020 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित होना नही पाया गया। जॉच अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-12-2019 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-चित्रकूट धाम बॉदा के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-69/2020/940(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री सुरेश चन्द्र, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-चन्दौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-चित्रकूट धाम बांदा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in